Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. Of Uttarakhand Undertaking)
V.C.V Gabar Singh Bhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone: 91-135-2763552 Fax: 91-135-2763839
EPBX No-2763672-75
Corporate Identity No. U40109UP2001SGC025867/2358

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
वि0 का0 वि0 गबर सिंह भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष:91–135–2763552 फैक्स–91–135–2763839
ई0पी0बी0एक्स0–2763672–75

पत्रांक: 266 /उपाकालि/कॉम/ए–4 दिनांक: 02–02 –2016

कार्यालय ज्ञाप

1. उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 79/I/2016-01(3)/01/2003, दिनांक 25–01–2016 के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एंव उपान्तरण) आदेश 2001 की धारा 3 एवं साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एवं उत्तराखण्ड सरकार की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 6605/624/नौ–3–ऊ/इ0 ड्यूटी/03, दिनांक 31–12–2003 एवं संख्या 1933/1/2005–01(3)/1/03, दिनांक 25–04–2005 को विखण्डित करते हुये, विभिन्न प्रकार के विद्युत उपभोग पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की निम्नलिखित संशोधित दरें निर्धारित करने की राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

कम संख्या	उपयोग का विवरण	अनुबन्धित मांग	इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी की दर
1.	घरेलू/गैर घरेलू/अन्य	घरेलू (10 कि0वा0 अनुबन्धित मांग तक)	15 पैसे प्रति यूनिट
		गैर घरेलू/ अन्य (50 कि0 वा0 अनुबन्धित मांग तक)	15 पैसे प्रति यूनिट
		घरेलू (10 कि0वा0 अनुबन्धित मांग से अधिक)	30 पैसे प्रति यूनिट
		गैर घरेलू/अन्य (50 कि0वा0 अनुबन्धित मांग से अधिक)	30 पैसे प्रति यूनिट
2.	लघु व मध्यम उद्योग (विद्युत भार 100 बी0एच0पी0 तक)	लघु व मध्यम उद्योग (50 कि0वा0 अनुबन्धित मांग तक)	20 पैसे प्रति यूनिट
		लघु व मध्यम उद्योग (50 कि0वा0 से 75 कि0वा0 अनुबन्धित मांग तक)	40 पैसे प्रति यूनिट
3.	बडे व भारी उद्योग (विद्युत भार 100 बी0 एच0पी0 से अधिक)	बडे व भारी उद्योग (75 कि0वा0 अनुबन्धित मांग से अधिक)	50 पैसे प्रति यूनिट
4.	राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त या राज्य सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये बेची गयी इनर्जी	राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त या राज्य सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये बेची गयी इनर्जी	शून्य
5.	नगर/स्थानीय निकायों/पेयजल निगम/जल संस्थान द्वारा पथ प्रकाश एवं पेयजल आपूर्ति हेतु उपभोग	नगर/स्थानीय निकायों /पेयजल निगम/जल संस्थान द्वारा पथ प्रकाश एवं पेयजल आपूर्ति हेतु उपभोग	09 पैसे प्रति यूनिट

SK Mehta

क्रम संख्या	उपयोग का विवरण	अनुबन्धित मांग	इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी की दर
6.	नियत प्रभार (Fixed Charged) पर बिना मीटर लगे सम्भरण के लिये	नियत प्रभार (Fixed Charged) पर बिना मीटर लगे सम्भरण के लिये	प्रभारित दर (Fixed Charged) का 20 प्रतिशत
7.	किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिष्ठापित अपने निजी जनन श्रोत से औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये उपभुक्त इनर्जी	किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिष्ठापित अपने निजी जनन श्रोत से औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये उपभुक्त इनर्जी (अक्षय ऊर्जा आधारित जनन श्रोत सहित)	02 पैसे प्रति यूनिट

2. राज्यपाल महोदय द्वारा उपर्युक्त संशोधित दरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. राज्यपाल महोदय ने यह भी आदेशित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी विद्युत उत्पादन स्रोत के विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया में उपभुक्त इनर्जी पर कुल उत्पादित यूनिट से 10 प्रतिशत तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के उद्ग्रहण से छूट मिलेगी।

4. उत्तराखण्ड शासन की उपर्युक्त अधिसूचना के कम में आदेशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोग पर उपर्युक्त दरों के अनुसार इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी प्रभारित (Charge) की जायेगी।

(एस. एस. यादव)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 266 / उपाकालि/कॉम/ए-4 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि, देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी /उधमसिंहनगर।
2- समस्त महाप्रबन्धक (वित्त/आन्तरिक सम्प्रेक्षा), उपकालि, गबर सिंह भवन, देहरादून।।
3- कम्पनी सचिव एवं उपमहाप्रबन्धक (विधि), उपकालि, गबर सिंह भवन, देहरादून।
4- समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण/वाणिज्य/सूचना प्रोद्यौगिकी), उपाकालि।
5- समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, गबर सिंह भवन, देहरादून।
6- पुलिस अधीक्षक, सर्तकता अनुभाग, गबर सिंह भवन, उपाकालि, देहरादून।
7- समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/सीबीएससी/परीक्षण/केसीसी), उपाकालि।
8- कार्यालय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, देहरादून/हल्द्वानी।

(ए.के.सिंह)
मुख्य अभियन्ता (परियोजना एंव वाणिज्य)

प्रतिलिपि: *निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक / निदेशक (वित्त/परिचालन/मानव संसाधन/परियोजना), उपाकालि।*

SKmehta